

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक

सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर का पत्रांक 8680-8715 दिनांक 01.05.2021 द्वारा राज्य सरकार विधि विभाग के पत्रांक प.8(1) विधि-2/विरस(20)/11 पार्ट-IV/116 दिनांक 23.04.2021 के अनुसरण में कार्यालय हाजा की सफाई व्यवस्था जॉब बेसिस पर Out Sourcing RTTP Act, 2012 & Rules 2013 व इस संबंध में वित्त विभाग(जी एण्ड टी) के आदेश दिनांक 30.04.2018 व 14.12.2018 की पालना की सुनिश्चितता के साथ वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कार्यालय में सफाई कार्य व्यवस्था कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ए.डी.आर. भवन दो मंजिल में बने हुये :-

- (1) ग्राउण्ड फ्लोर पर फ्रण्ट ऑफिस, स्थाई लोक अदालत भवन, संस्थापन कक्ष, स्टॉफ रूम, चैम्बर सचिव महोदय, गैलेरी पोर्च व टॉयलेट्स की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग आदि।
- (2) प्रथम मंजिल पर सभा भवन, मीडियेशन भवन, स्टोर चैम्बर, गैलेरी पोर्च, टॉयलेट, जीना व छत की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा डस्टिंग आदि व ए.डी.आर. भवन के संपूर्ण परिसर की झाड़ू व सफाई कार्य करवाया जाना है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-3 के अंतर्गत के उपभाग वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन के भाग-2 के आकस्मिक एवं विविध व्यय की क्रम संख्या 1(ए)(2) के अनुसार अंशकालिन सफाई कर्मी को प्रतिमाह अधिकतम 1200/- प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करने पर) भुगतान स्वीकृति योग्य है।

उपरोक्त प्रस्तावित कार्य को करने हेतु स्थानीय इच्छुक सफाईकर्मी/सेवा प्रदाता एजेंसी से दिनांक 09.06.2021 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक सफाईकर्मी/सेवाप्रदाता एजेंसी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 09.06.2021 तक कार्यालय प्रस्तुत कर दें।

-sd-

(डॉ. रुबीना परवीन अंसारी)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
टोंक (राजस्थान)

दिनांक : 05/06/2021

क्रमांक : 2884-893

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. कार्यालय पत्रावली।
02. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय/अपर जिला एवं सेशन न्यायालय/सी.जे.एम./ए.सी.जे.एम./न्यायिक मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, टोंक
03. सिस्टम ऑफिसर, न्यायिक सेवा केन्द्र टोंक को जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
04. आयुक्त नगरपरिषद, टोंक को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।

(डॉ. रुबीना परवीन अंसारी)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
टोंक (राजस्थान)